माननीय न्यायमूर्ति एमएम. कुमार, के समक्ष

अतुल कुमार, और अन्य — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य — उत्तरदाता

Crl. R. 1362 of 2003 19th September, 2003

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनयम, 2000 — किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000- धारा 2(एल), 12 और 53- याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हत्या के आरोप- अधिनियम की धारा 12, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत का अधिकार देती है, जब तक कि यह दिखाने के लिए सबूत न हो कि किशोर को जमानत पर रिहा करने से वह किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ सकता है या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी - स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें याचिकाकर्ताओं को अपराध करने की तारीख पर 18 वर्ष से कम उम्र का दिखाया गया है - याचिकाकर्ताओं को धारा 2 (के) के संदर्भ में किशोर माना जा सकता है - यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है की कानून का उल्लंघन करने वाले याचिकाकर्ताओं की रिहाई न्याय के उद्देश्यों या किसी अन्य अपवाद को विफल कर देगी - याचिकाकर्ताओं को जमानत की रियायत का हकदार माना जाता है - याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करने वाले न्यायालयों के आदेशों को रद्द करते हुए याचिकाओं को मंजूर किया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं के स्कूल प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि उनका जन्म 27 अप्रैल, 1985 और 10 जुलाई, 1985 को हुआ है और दोनों अपराध करने की तिथि अर्थात 29 मार्च, 2003 को उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (के) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पुरुष या महिला की परवाह किए बिना किशोर माना जाता है। अधिनियम का मूल उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किशोर अपराध को रोकना और उसका इलाज करना है। अधिनियम के एक उद्देश्य के रूप में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया है। माता-पिता के स्नेह से मिलने वाली देखभाल और ध्यान, 'कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर' की ओर से आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करने और उन्मूलन में मदद करने को ध्यान में रखना होगा। यदि कानून का उल्लंघन करने वाले कम उम्र के किशोर को उसके माता-पिता के प्राकृतिक प्यार और स्नेह से वंचित करके अप्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है,

तो ऐसे बच्चे के विकास से आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिनियम एक लाभकारी विधान है और अभियोजन पक्ष को तकनीकी पहलुओं को छुपाने की अनुमति देकर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि रिकॉर्ड पर कुछ सबूत होने चाहिए कि जमानत पर रिहाई के बाद, याचिकाकर्ताओं के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या जमानत पर उनकी रिहाई उन्हें नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगी या उनकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। किसी दिए गए मामले में यदि याचिकाकर्ताओं के माता-पिता भी अपराधी हैं, या तो पूर्व-दोषी या किसी गिरोह के सदस्य हैं, तो अदालत के लिए जमानत से इनकार करना संभव हो सकता है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, जहाँ यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर' की रिहाई न्याय के उद्देश्यों या किसी अन्य अपवाद को विफल कर देगी, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को केवल अभियोजन या न्यायालय द्वारा लगाए गए अनुमान या राय के आधार पर जमानत का लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 6)

डी.एस. बाली, सीनियर. अधिवक्ता के साथ डी.वी. गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए

G.P. एस. नागरा, एएजी (हरियाणा), प्रतिवादी के लिए

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एमएम. कुमार

1. किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अिधिनयम, 2000 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 जून, 2003 के विरुद्ध निर्देशित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता जो अधिनियम की धारा 2(1) के अर्थ के तहत "कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर" हैं, उन्हें एफ.आई.आर. के मामले में आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। क्रमांक 99 दिनांक 29 मार्च 2003 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/ 323/147/149 के तहत पी.एस. में दर्ज किया गया। शहर टोहाना. एफ.आई.आर में आरोप निम्न प्रकार हैं :—

"जयबीर सिंह पुत्र रामफल जाति जाट निवासी भोडी उम्र करीब 18 वर्ष ने बयान में कहा गया है कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, टोहाना का छात्र हूं और 10+1 में पढ़ता हूं। आज दिनांक 29 मार्च 2003 को प्रातः लगभग 9.15 बजे मैं तथा मेरे साथ 10+1 में पढने वाला राजिंदर पुत्र सिरी राम जाट निवासी भोडी अतुल बस सर्विस से स्कूल जा रहे थे। जब यह बस ग्राम अमावी पहुंची, तो बस के चेकर, सुरेश ने यात्रा टिकट मांगा और मैंने जवाब दिया कि हम छात्र हैं और हमें आई-कार्ड दिखाने के लिए कहा और फिर मैं और राजिंदर कहा कि आज हम पहचान पत्र ले जाना भूल गए हैं और हम कल पहचान पत्र दिखा देंगे और आगे कहा कि अगर आपको टिकट के पैसे चाहिए तो आप ले सकते हैं और पहचान पत्र दिखाने के बाद हम पैसे वापस ले लेंगे। इस पर सुरेश ने मां-बहन के नाम से गाली देना शुरू कर दिया और कहा कि टिकट नहीं खरीदने पर तुम्हें सबक सिखाया जायेगा जब बस सरकार पहुंची। कॉलेज, टोहाना फिर सुरेश, चेकर कॉलेज के पास उतर गया। मैं राजिंदर के साथ भूना क्रॉसिंग टोहाना के पास बस से उतर गया और स्कूल चला गया। सुबह 10.45 बजे जब हम डेटशीट नोट करके गांव जा रहे थे और भूना रोड, टोहाना के पास पहुंचे और हेयर ड्रेसर सुभाष की दुकान के पास खड़े हुए तो वहां राम कुमार का बेटा महाबीर सिंह हमारे पास आकर खड़ा हो गया, जो राजिंदर का भाई है। इसी बीच अतुल कोच के सुरेश चेकर और अतुल पुत्र संत लाई बिश्नोई निवासी कोर्ट रोड, टोहाना के साथ अन्य तीन व्यक्ति जिनमें से दो व्यक्ति गेहुंए रंग के थे और एक का रंग मटमैला था और मैं उनके नाम नहीं जानता। अगर वे मेरे सामने आएं तो मैं उन्हें पहचान सकता हूं जब उन्होंने हमें देखा तो वे हमें गालियां देने लगे और कहने लगे कि तुमने बस में टिकट नहीं लिया है और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। इसके तुरंत बाद राजिंदर ने इन लोगों से कहा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके तुरंत बाद इन लोगों ने राजिंदर को पकड़ लिया और सड़क पर गिरा दिया और लात-घूंसों से मारना शुरू कर दिया। अतुल ने ललकारा कि आज उसे ख़त्म कर दो। इसी बीच इन सभी लोगों ने राजिंदर को पीटना शुरू कर दिया और बार-बार सड़क पर पटकते रहे। मैंने महाबीर के साथ मिलकर राजिंदर को इन पांचों व्यक्ति से बचाने की कोशिश की. फिर सुरेश ने मेरी बायीं आँख पर और अतुल ने मेरी छाती पर पैर का झटका मारा और मैं गिर पड़ी। इसके बाद मैंने और महाबीर ने बचाओ-बचाओ और का शोर मचाया इसके तुरंत बाद वे सभी मौके से भाग गये. मैं महाबीर के साथ राजिंदर को रिक्शा में डालकर सरकारी अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर ने राजिंदर को मृत घोषित कर दिया। सुरेश, अतुल और तीन अन्य लोगों

ने राजिंदर पर वार किए, जिससे राजिंदर की मौत हो गई। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए|"

2. याचिकाकर्ताओं ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसने 26 अप्रैल, 2003 को इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता जमानत की रियायत के लायक नहीं हैं क्योंकि उनके खिलाफ आरोप गंभीर थे और अपराध करने की तारीख यानी 29 मार्च, 2003 को वे वयस्क होने की कगार पर थे। व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद के समक्ष अधिनियम की धारा 52 के तहत अपील दायर की और उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:-

"मैंने उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है और संदर्भित नज़ीरी क़ानून और फ़ाइल का अध्ययन कर लिया है किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनयम, 2000 की धारा *12* से पता चलता है कि जब किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी और जाहिर तौर पर किशोर को हिरासत में लिया जाता है, तो उसे जमानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय को पराजित कर देगी। विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि इन आरोपियों के अलग-अलग चालान तैयार किए गए हैं और ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र और विद्वान सी.जे.एम. का अवलोकन। इंगित करता है कि आरोपी किशोर हैं, लेकिन साथ ही जमानत की रियायत देते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता को भी देखा जाना चाहिए। यदि इस स्तर पर किशोर को जमानत दी जाती है, तो यह उसे नैतिक खतरे में डाल देगा। इसके अलावा, किशोर के संबंध में निष्कर्ष बोर्ड द्वारा दिया जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा और किशोर के संबंध में ऐसा आदेश देगा जो उचित समझे। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना न्याय हित में नहीं होगा। ऐसे में जमानत अर्जी खारिज की जाती है। अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया गया है कि इन आरोपियों को बोर्स्टल

जेल में रखा जाए और इसके बारे में माता-पिता और अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। फाइल को रिकार्ड रूम में भेजा जाए।"

3. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डी.एस. बाली ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत, "कानून के साथ संघर्ष करने वाला किशोर" जमानत का हकदार है, जब तक कि यह दिखाने वाला सबूत न हो कि किशोर को जमानत पर रिहा करने से कोई फायदा हो सकता है। उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ मिलकर या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना या उसकी रिहाई न्याय के लक्ष्यों को पराजित कर देगी। विद्वान वकील ने बताया कि उपरोक्त आधार को रिकॉर्ड पर कुछ सबूत पेश करके पुष्ट किया जाना चाहिए और यह अभियोजन का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है।" अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने तीन निर्णयों पर भरोसा किया है; **सहाबुद्दीन शब्बू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[1] (1), **संजीव कुमा बनाम हरियाणा राज्य**[2] (2), और **गोपी नाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[3]।

4. श्री जी.पी.एस. राज्य के विद्वान वकील नागरा ने बताया कि किशोरों को रखने के लिए बोर्स्टल जेल हैं जो सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदान करते हैं और स्कूल, खेल के मैदान और औषधालय की सुविधाएं हैं। हालाँकि, विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं के मामले को किसी भी अपवाद के तहत लाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई भी सबूत बताने में असमर्थ रहे, अर्थात् जमानत पर रिहाई के मामले में याचिकाकर्ताओं के किसी भी ज्ञात अपराधी के साथ आने की संभावना है या उनकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

5. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मेरी सुविचारित राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां अधिनियम की धारा 12 का लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के स्कूल प्रमाणपत्रों से पता चलता है कि उनका जन्म 27 अप्रैल, 1985 और 10 जुलाई, 1985 को हुआ है और अपराध की तारीख यानी 29 मार्च 2003 को दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

---

[1] 2003 (1) RCR.(Criminal) 498
[2] 2003 (1) RCR (Criminal) 1
[3] AIR 1984 S.C. 237

अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (के) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पुरुष या महिला की परवाह किए बिना किशोर माना जाता है। अधिनियम का मूल उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किशोर अपराध को रोकना और उसका इलाज करना है। अधिनियम के एक उद्देश्य के रूप में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया है। माता-पिता के स्नेह से मिलने वाली देखभाल और ध्यान, कानून के साथ संघर्षरत किशोर की ओर से आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करने और उन्हें खत्म करने में मदद करने को ध्यान में रखना होगा। यदि कानून का उल्लंघन करने वाले कम उम्र के किशोर को उसके माता-पिता के प्राकृतिक प्यार और स्नेह से वंचित करके अप्राकृतिक माहौल में रखा जाता है, तो ऐसे बच्चे के विकास से आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिनियम एक लाभकारी विधान है और अभियोजन पक्ष को तकनीकी पहलुओं को छुपाने की अनुमति देकर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इसी तरह के कानून यानी पश्चिम बंगाल बाल अधिनियम, 1959 के संबंध में गोपीनाथ घोष के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> "इससे पहले निकाले गए अनुभागों को संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां एक किशोर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, उसे किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और यदि क्षेत्र के लिए कोई किशोर न्यायालय स्थापित नहीं है, तो अन्य बातों के अलावा, सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और ऐसे सत्र न्यायालय के पास किशोर न्यायालय की शक्तियां होंगी। ऐसे किशोर अपराधी को आम तौर पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, भले ही कथित अपराध की प्रकृति कुछ भी हो जब तक यह न दिखाया जाए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि रिहाई से उसे किसी अपराधी के प्रभाव में लाने या उसे नैतिक खतरे में डालने या न्याय के उद्देश्यों को पराजित करने की संभावना है"

6. मेरा यह भी मानना है कि रिकॉर्ड पर कुछ सबूत होने चाहिए जो दिखाते हों कि जेल से रिहा होने के बाद, याचिकाकर्ताओं के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की

संभावना है या जमानत पर उनकी रिहाई से उन्हें नैतिक, शारीरिक नुकसान होगा। या मनोवैज्ञानिक खतरा या कि उनकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। किसी दिए गए मामले में यदि याचिकाकर्ताओं के माता-पिता भी अपराधी हैं, या तो पूर्व-दोषी या किसी गिरोह के सदस्य हैं, तो अदालत के लिए जमानत से इनकार करना संभव हो सकता है। एक अन्य उदाहरण यह हो सकता है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने जमानत पर रिहा होने के बाद माता-पिता की ओर से चूक दिखाते हुए अपराध दोहराया है, तो मामले को अधिनियम की धारा 12 के तहत किए गए अपवादों द्वारा कवर किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामले में, जहाँ यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की रिहाई न्याय के उद्देश्यों या किसी अन्य अपवाद को विफल कर देगी, केवल अभियोजन या न्यायालय द्वारा लगाए गए अनुमानों या राय के आधार पर याचिकाकर्ताओं को जमानत के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। । इस संबंध में सहाबुद्दीन @शब्बू के मामले (सुप्रा) और संजीव कुमार के मामले (सुप्रा) के फैसलों पर भरोसा किया जा सकता है।

7. ऊपर बताए गए कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है और निचली अदालतों के आदेशों को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत देने का हकदार माना जाता है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी